न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3195–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–06–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त व तहसील बेगमगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 22/अ–12/2014–15.

अजयसिंह पुत्र श्री बलवीरसिंह
निवासी ग्राम बर्री खुर्द, तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1–रघुवीर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह
निवासी ग्राम बर्री खुर्द, तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री एल.एम.खान, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन.ए.हाशमी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त व तहसील बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक बेगमगंज के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–12/2014–15 दर्ज किया जाकर

प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 22–6–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही उनके उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि के सीमांकन के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर ही सीमांकन की कार्यवाही की जा सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि ग्राम चौकीदार द्वारा सीमांकन किये जाने का सूचना पत्र तामील कराया गया है और उसमें कूटरचित कर आवेदक के हस्ताक्षर करने से मना करने संबंधी टीप अंकित की गई है, जबकि वास्तव में आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली कराई ही नहीं गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को जारी सूचना पत्र से ज्ञात होता है कि सूचना पत्र पर प्रकरण कमांक 22/अ–12/14–15 सूचना पत्र दिनांक 18–6–14 अंकित है, जबकि प्रकरण दिनांक 13–4–15 को दर्ज किया गया है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज करने के पूर्व ही सूचना पत्र जारी किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक से मिलकर बनावटी सीमांकन कराया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् दिनांक 22–6–15 को सीमांकन किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किये गये हैं और आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है जिसका पंचनामा बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया गया है ।

(2) सीमांकन दिनांक 22–6–15 को आवेदक के तीनों पुत्र उपस्थित थे और उन्होंने पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना किया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र पर ही सीमांकन किया गया है । सीमांकन में अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 23/1 एवं 24/1 रकबा 0.35 एकड़ पर आवेदक का कब्जा पाया गया है जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और जिसकी अपील लंबित है ।

(4) अनावेदक द्वारा दिनांकं 18–6–14 को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है इसी कारण सूचना पत्र में त्रुटिपूर्ण दिनांक 18–6–15 अंकित हो गया है, अतः आवेदक का यह कहना गलत है कि प्रकरण दर्ज होने के पूर्व ही सूचना पत्र जारी किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन में आवेदक को सूचना दी गई है और सीमांकन के समय उसके पुत्रगण उपस्थित रहे है । आवेदक की ओर से केवल यह कहा जा रहा है कि सीमांकन में उसे सूचना नहीं दी गई है और उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । इस प्रकार आवेदक की ओर से केवल तकनीकी आधार उठाये जाकर सीमांकन को त्रुटिपूर्ण बताने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा यह नहीं बताया जा सका है कि सीमांकन किस प्रकार से अवैधानिक अथवा अनियमित है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त व तहसील बेगमगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर